

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

पत्र संख्या-4/कृ०शि०को०-33/2016- 3050 /कृ०, पटना, दिनांक 10-08 2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,  
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।  
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित।

विषय:- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वेतन एवं पेंशन भुगतान हेतु 9034.61 लाख (नब्बे करोड़ चौतीस लाख एकसठ हजार) रुपये सहायक अनुदान की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वेतन एवं पेंशन भुगतान हेतु 9034.61 लाख (नब्बे करोड़ चौतीस लाख एकसठ हजार) रुपये सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 33 के अनुसार विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, विश्वविद्यालय के आकस्मिकताओं, आपूर्तियों और सेवाओं से संबंधित प्राक्कलित व्यय से अन्यून अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। इसके आलोक में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन स्थायी भाग (कमिटेड देनदारी) के अधीन विश्वविद्यालय के मुख्यालय/कृषि अनुसंधान संस्थान, पटना/बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर/मिट्टी सर्वेक्षण योजना, सबौर/क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, अगवानपुर, सहरसा में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद पर कार्यरत बल को वेतन भुगतान एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को भुगतान की जानेवाली पेंशन की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को विमुक्त किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में स्वीकृत पद के विरुद्ध नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतन एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन का भुगतान बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जा सकता है।

4. वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत राशि 9034.61 लाख रु० मुख्य शीर्ष 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01-फसल कृषि कर्म, लघु शीर्ष-277- शिक्षा, उपशीर्ष-0008-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर विपत्र कोड-01-2415012770008, विषय शीर्ष-0008.31.04 सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि 11479.88 लाख रु० से विकलनीय होगा।



5. व्यय हेतु स्वीकृत राशि 9034.61 लाख रू० की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा तुरंत कृषि महाविद्यालय/कार्यान्वयन एजेंसी को राशि विमुक्त की जायेगी। विमुक्त राशि के विरुद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है तो इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा जो राज्य सरकार से स्वीकृत है।

6. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी० विपत्र-42 पर की जायेगी जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्त रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा।


7. वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक-2561 दिनांक 17.4.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय के अंकेक्षण का अधिकार रहेगा। विश्वविद्यालय व्यय से संबंधित लेखा पंजी का संधारण करेगा तथा विहित अंकेक्षण दल को यथा समय उनके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा।

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 4443 दिनांक 14.06.2018 में निहित प्रावधान के आलोक में राज्यादेश में वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या- 4/कृ०शि०को०-33/2016 के पृ०सं०- 52/टि० पर दिनांक 28.07.2018 को प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(रवीन्द्र नाथ राय)

विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-4/कृ०शि०को०-33/2016 3050 /कृ०, पटना, दिनांक 10-08, 2018  
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय  
विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार,  
पटना, कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।



ज्ञापांक:-4/कृ०शि०को0-33/2016 3050 /क०, पटना, दिनांक 10-08; 2018  
प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*D. Singh*  
9.8.18

विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-4/कृ०शि०को0-33/2016 3050 /क०, पटना, दिनांक 10-08; 2018  
प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि  
विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*D. Singh*  
9.8.18

विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-4/कृ०शि०को0-33/2016 3050 /क०, पटना, दिनांक 10-08; 2018  
प्रतिलिपि:- उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, कृषि के आप्त  
सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/निदेशक, पी०पी०एम० कृषि विभाग/कृषि विभाग  
(मुख्यालय) के सभी संबंधित पदाधिकारी एवं योजना शाखा/बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि  
निदेशालय) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक  
(सूचना) को विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

*D. Singh*  
9.8.18

विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।